सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

मानीय प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनाँक 17 सितम्बर, 2020 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 43वीं बैठक दिनाँक 17 सितम्बर, 2020 को पूर्वान्ह् 11:00 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1.	डा0 आर0के0 मित्तल, कुलपति	**अध्यक्ष**
2.	श्री जितेन्द्र पाल सिंह, मा0 विधायक	**सदस्य**
3.	डा0 अनीता लोधी राजपूत, मा0 विधायक	**सदस्य**
4.	श्री विद्या शंकर सिंह, विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	**सदस्य**
5.	श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री	**सदस्य**
6.	डा0 महेश कौशिक, कृषि वैज्ञानिक।	**सदस्य**
7.	श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	**सदस्य**
8.	श्री अमन दयाल, कृषि उद्योगपति	**सदस्य**
9.	श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	**सदस्य**
10.	श्री ए0के0 सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
11.	डा0 शैलेन्द्र, संयुक्त निदेशक, कृषि, मेरठ। (निदेशक कृषि के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
12.	डा0 राजेश कुमार, अपर निदेशक, पशुपालन, मेरठ मण्डल, मेरठ। (निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
13.	डा0 आर0के0 गुप्ता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ। (प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि)	**सदस्य**
14.	श्री सुशील कुमार गुप्ता, नियंत्रक	**सचिव**

मा0 प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं नियन्त्रक द्वारा मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 43.1 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनाँक 12 मार्च, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या 43.2 : माननीय प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनाँक 12 मार्च, 2020 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा0 प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

श्रीमती सुषमा सिंह द्वारा पूर्व की बैठक/बैठकों में लिये गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही पर मा0 सदस्यों को अवगत न कराने पर आपत्ति व्यक्त की गयी। मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही पर समयबद्ध समस्त मा0 सदस्यों को अवगत कराया जाये।

मा0 प्रबन्ध परिषद पूर्व 42 वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 के बिन्दु संख्या–42.6 पर वित्त समिति की चतुर्दश (14वीं) बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 के निर्णयों का अवलोकन एवं अनुमोदन के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों/शिक्षकों को उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 652/सत्तर–2–2019–16(109)/2016

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक

डा0 आर0 के0 मित्तल
कुलपति

दिनांक 05.09.2019 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/शिक्षकों को मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक द्वारा यथास्थिति से अवगत कराया गया। जिसपर बैठक में उपस्थित विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा किसी भी प्रस्ताव को शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में अनुमोदन प्रदान किया जाना उचित नही है। संदर्भित प्रकरण/प्रकरणों पर कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए। पुनः प्रकरण का औचित्य स्पष्ट करते हुए अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से शासन से अनुरोध किया जाएगा।

इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों/शिक्षकों को मकान किराया भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन से पत्राचार किया जा रहा है। जिसपर मा0 सदस्यों द्वारा कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में समय-समय पर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाये एवं भविष्य में मा0 प्रबन्ध परिषद से शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा के आधार पर कोई भी प्रस्ताव मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में न रखा जाए।

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

(कार्यवाहीः नियन्त्रक)

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

प्रस्ताव संख्या 43.3 : डा0 प्रमोद कुमार राय, पूर्व सह–प्राध्यापक, पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, राजस्थान में दिनांक 27.11.1996 से दिनांक 27.11.1996 से दिनांक 04.04.2005 तक सहायक प्राध्यापक के पद पर की गयी सेवा को पुरानी पेंशन प्रक्रिया में जोड़ने हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

डा0 प्रमोद कुमार राय, पूर्व सह–प्राध्यापक, पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में योगदान देने से पूर्व श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर वर्तमान में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) राजस्थान में दिनांक 27.11.1996 से दिनांक 04.04.2005 तक सहायक प्राध्यापक के पद कार्यरत रहे तथा दिनांक 06.04.2005 को सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सह–प्राध्यापक के पद जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में अपना योगदान प्रस्तुत किया। दिनांक 06.04.2005 से 25.08.2009 तक सह–प्राध्यापक के पद पर जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में कार्यरत रहे। वर्तमान में डा0 प्रमोद कुमार राय, प्रधान वैज्ञानिक/कार्यवाहक निदेशक, भा0कृ0अ0प0 सरसो अनुसंधान निदेशालय, सेवर, भरतपुर (राजस्थान) के पद पर कार्यरत है। डा0 प्रमोद कुमार राय द्वारा पूर्व में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर (राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर वर्तमान में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) राजस्थान में की गयी सेवा को पेंशन हेतु जोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है। इनकी पूर्व की गयी सेवा का सत्यापन श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर,

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 आर0 के0 मित्तल
कुलपति

राजस्थान द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को प्रेषित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा कहा गया कि उ0प्र0 शासन को भेजने जाने वाले प्रस्ताव नियमानुसार नियम संगतों के अन्तर्गत ही प्रेषित किये जाये।

उक्त के सम्बन्ध में माननीय प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से डा0 प्रमोद कुमार राय, पूर्व सह–प्राध्यापक, पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, राजस्थान में दिनांक 27.11.1996 से दिनांक 27.11.1996 से दिनांक 04.04. 2005 तक सहायक प्राध्यापक के पद पर की गयी सेवा को पुरानी पेंशन प्रक्रिया में जोड़ने हेतु उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्मिक)

प्रस्ताव संख्या–43.4: विद्वत परिषद की 75वीं (विशेष) बैठक (वीडियो कान्फ्रेन्सिग द्वारा) दिनांक 30 मई, 2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 75वीं (विशेष) बैठक (वीडियो कान्फ्रेन्सिग द्वारा) दिनांक 30 मई, 2020 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन किया गया।

मा0 कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा शिक्षण सम्बन्धी

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 आर0 के0 मित्तल
कुलपति

समस्त कार्यों का संचालन ऑनलाईन के माध्यम से किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों/छात्राओं द्वारा पूर्ण रूप में प्रतिभाग किया गया तथा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा उ0प्र0 के अन्य विश्वविद्यालय से पूर्व ही अपना रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। जिसपर मा0 सदस्यों द्वारा मा0 कुलपति जी को बधाई दी गई।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 43.5—कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत स्टाफ को विश्वविद्यालय स्तर से विज्ञापित किये जाने वाले समस्त शिक्षण एवं शिक्षणैत्तर पदों में आयु सीमा मुक्त (No age bar for University Employees) रखे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वित्त नियन्त्रक/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के कृषि विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत स्टाफ को विश्वविद्यालय स्तर से विज्ञापित किये जाने वाले समस्त शिक्षण एवं शिक्षणैत्तर पदों में आयु सीमा मुक्त (No age bar for University Employees) रखे जाने के सम्बन्ध में अन्य कुछ संस्थानों/विश्वविद्यालय का उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्यों एवं विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा स्पष्ट किया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा किये जाने वाली भर्ती हेतु विज्ञापन में उ0प्र0 शासन के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये।

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

संदर्भित प्रकरण के पक्ष में कोई ठोस उदाहरण होने पर, तर्कसंगत प्रस्ताव ही उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्मिक)

प्रस्ताव संख्याः 43.6– **Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), New Delhi एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मध्य Mobile Veterinary Clinical Service for Dairy Animals in Western Uttar Pradesh को प्रदान करने हेतु MoU के लिए प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय द्वारा Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO), New Delhi एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के मध्य Mobile Veterinary Clinical Service for Dairy Animals in Western Uttar Pradesh को प्रदान करने हेतु MoU हेतु मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः अधिष्ठाता, पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय/कुलसचिव)

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

प्रस्ताव संख्याः 43.7 पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग में स्वयं वित्त पोषित (Self Finance) के अन्तर्गत नियुक्त कुल 08 शिक्षकों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना को लागू करने हेतु प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय के पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग में स्वयं वित्त पोषित (Self Finance) के अन्तर्गत नियुक्त कुल 08 शिक्षकों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना को लागू करने के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसमत्ति से असहमति व्यक्त की गयी। श्रीमती सुषमा सिंह, सामाजिक महिला कार्यकत्री द्वारा कहा गया कि बैठक में प्रस्ताव रखते समय स्पष्ट आख्या प्रेषित की जाये। तत्सम्बन्ध में बताया गया कि पशुचिकित्सा एवं पशुविज्ञान महाविद्यालय में शैक्षणिक संवर्ग में स्वयं वित्त पोषित (Self Finance) के अन्तर्गत कुल 23 शिक्षकों की स्वीकृति के सापेक्ष वर्तमान में कुल 08 शिक्षक कार्यरत है। उपर्युक्त प्रकरण पर मा0 सदस्यों द्वारा उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित करने हेतु कहा गया एवं उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों पर ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाहीः कुलसचिव / नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 43.8 वित्तीय वर्ष 2020–21 में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्मिकों के वेतन वहन हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में कार्यरत कार्मिकों के वेतन वहन हेतु कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या–22 / 2020 / 1256 / 67–कृशिअ–20–1500(5) / 19 टी0 सी0 दिनांक 25 अगस्त, 2020

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रू0 3260.74 लाख के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि में से बकाया रू0 1630.37 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है। उपर्युक्त शासनादेश में प्रश्नगत धनराशि के व्यय की पूर्वानुमति विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद से लेने के सम्बन्ध में इंगित किया गया है, जिसको मा0 प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को पूर्व वित्तीय वर्ष 2019–20 में वेतन मद में रू0 3900.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी। जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 3260.74 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जोकि पूर्व वित्तीय वर्ष से कम है। जिसकी मांग हेतु उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र शासन, लखनऊ द्वारा कहा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 में वेतन मद में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार मांग प्रेषित कर दी जाये।

(कार्यवाहीः नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्याः 43.9 विद्वत परिषद की 76वीं (विशेष) बैठक (वीडियो कान्फ्रेन्सिग द्वारा) दिनांक 05 अगस्त, 2020 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की विद्वत परिषद की 76वीं (विशेष) बैठक (वीडियो कान्फ्रेन्सिग द्वारा) दिनांक 05 अगस्त 2020 में लिए गये निर्णयों पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव संख्याः 43.10 **विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले सभी विज्ञापनों के नियम–शर्तों में आंशिक संशोधन हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार विज्ञापन के General Instructions for candidates for appointment by selection for Teaching के बिन्दु संख्या 05 में परिवर्तन तथा Communications not giving these particulars are liable to be rejected के बिन्दु संख्या 07 जोड़ने के संबंध में प्रस्ताव।**

अवगत कराना है कि माननीय प्रबन्ध परिषद की 42वीं बैठक दिनांक 12 मार्च, 2020 के कार्यवृत्त के प्रस्ताव संख्या 42.8 द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के शिक्षक श्रेणी के पदों की शैक्षिक योग्यता, अर्हता, आवेदन पत्र, स्कोर कार्ड एवं भर्ती की प्रक्रिया का निर्धारण विद्वत परिषद की 74वीं विशेष बैठक दिनांक 15 फरवरी, 2020 के अनुसार अनुमोदित किया गया था। वर्तमान में कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण डाक विभाग से प्राप्त डाक देर से प्राप्त हो रही है। इस कारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापनों में जारी आवेदन पत्र की एक पी.डी.एफ. प्रति ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जाये तथा आवेदन शुल्क Net banking / Phone banking / Mobile banking mode i.e. RTGS, NEFT, IMPS etc. के माध्यम से जमा कराने पर विचार किया गया। विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित किये जाने वाले सभी विज्ञापनों के नियम–शर्तों में आंशिक संशोधन हेतु समिति की संस्तुति के अनुसार विज्ञापन के General Instructions for candidates for appointment by selection for Teaching के बिन्दु संख्या 05 में परिवर्तन तथा Communications not giving these particulars are liable to be rejected के बिन्दु संख्या 07

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

जोडे जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 43.11 GEM पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा जारी किये जाने वाले शासनादेशों को विश्वविद्यालय में लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

वित्त नियन्त्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 24/2020/ 279/18–2–2020–97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 19.06.2020 एवं इससे पूर्व निर्गत अन्य शासनादेशों के माध्यम से समस्त विभागों में GEM पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसपर मा0 प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से GEM पोर्टल के माध्यम से क्रय प्रक्रिया निर्धारित करने उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले शासनादेशों को कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में लागू करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः नियन्त्रक/कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्याः 43.12 सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत पूर्व से संचालित एवं नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु विभिन्न संवर्ग के कुल 148 रिक्त पदों को विज्ञापित किये जाने के संबंध में।

मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक में उपस्थित कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अर्न्तगत संचालित होने

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

वाले 07–नवसृजित कृषि विज्ञान केन्द्र क्रमशः शामली, सम्भल, दातागंज (बदायूँ), अमरोहा, हापुड़, मुजफ्फरनगर–II एवं मुरादाबाद–II हेतु कुल 112 पदों की स्वीकृति आई0सी0ए0आर0 से प्रदान की जा चुकी है। जिसके सापेक्ष उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 944/67–कृशिअ–20–1500(3)/16 टी.सी.–III दिनांक 28 जुलाई, 2020 द्वारा 06 कृषि विज्ञान केन्द्रों के संचालन हेतु स्वीकृत 96 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। साथ ही एक कृषि विज्ञान केन्द्र हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से स्वीकृत 16 पदों के लिये उ0प्र0 शासन से स्वीकृति अतिशीघ्र प्राप्त होना सम्भावित है। इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग द्वारा यह भी कहा गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों को विश्वविद्यालय मुख्यालय पर सम्बद्ध न किया जाये तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर समय–समय पर भिन्न–भिन्न प्रकार के रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती हेतु उ0प्र0 शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाये। इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि उपर्युक्त पदों पर आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत ही भर्ती की जायेगी। तत्सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 01 कृषि विज्ञान केन्द्र के लम्बित कुल 16 पदों की स्वीकृति उ0प्र0 शासन से प्राप्त होने के बाद ही समस्त पदों पर विज्ञापन विज्ञापित कराया जाये तथा इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की सूचना समस्त सदस्यों को उनके ई–मेल के माध्यम से दी जायेगी।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्मिक/निदेशक प्रसार)

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव संख्याः 43.13 **कृषि विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा विज्ञापित पदो के आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग व अन्य कार्य हेतु External Consultant (बाह्य सलाहकार) रखे जाने के सम्बन्ध में।**

इस सम्बन्ध में वित्त नियन्त्रक/सचिव द्वारा मा0 सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा समान्य मद में रिक्त शैक्षिक पदों को विज्ञापित किया गया है। इसी प्रकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा शत प्रतिशत (100%) वित्त पोषित कृषि विज्ञान केन्द्रों के नव सृजित पदों तथा पूर्व में रिक्त पदों को विज्ञापन द्वारा भरा जाना है। उक्त कार्य की गोपनीयता के लिये जैसे अभ्यार्थियों के आवेदन प्रपत्रों की स्क्रीनिंग एवं अन्य दूसरे कार्यो हेतु एक बाह्य सलाहकार रू0 50,000/-(रूपये पच्चास हजार मात्र) प्रतिमाह के आधार पर छः माह हेतु रखा जाना प्रस्तावति है। बाह्य सलाहकार का चयन माननीय कुलपति जी द्वारा किया जायेगा। उक्त सलाहकार माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार कार्य करेगें।

उपर्युक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मत्ति से कहा गया कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित पदो के सम्बन्ध में गोपनीयता एवं आवेदन प्रपत्रों की स्क्रीनिंग एवं अन्य दूसरे कार्यो हेतु एक बाह्य सलाहकार नियुक्त किया जाना उपयुक्त नही होगा। अपितु विश्वविद्यालय में गोपनीयता एवं आवेदन प्रपत्रों की स्क्रीनिंग एवं अन्य दूसरे कार्यो हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर ही समिति का गठन करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव कार्मिक)

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति

प्रस्ताव संख्याः 43.14 **उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी की सदस्यता के सम्बंध में।**

प्रस्ताव के सम्बन्ध में मा0 कुलपति जी अवगत कराया गया कि श्री राज्यपाल/कुलाधिपति कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्याः ई–2758/जी0एस0 दिनांक 24 अगस्त, 2020 के कम में डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के पत्रांक अ0क0प्रा0वि0/कुप0का0 /2020/11022 दिनांक 07.09.2020 (सलग्न) के अनुसार राज्य के समस्त शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय विकास संगठन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की जानी है। जिसका आवेदन हेतु प्रपत्र भी संलग्न कर प्रेषित किया गया है। इस सम्बंध में विश्वविद्यालय द्वारा समिति की सदस्यता के लिए संलग्न प्रारूप में अपना आवेदन डॉ ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को किया जाना है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि इस विषयक प्रस्ताव विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में पारित/अनुमोदित कराना होगा, जिसकों मा0 प्रबन्ध परिषद के मा0 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः कुलसचिव)

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा0 सदस्यों द्वारा निम्नवत अभिमत व्यक्त किये गयेः–

1. श्री निखिल कुमार त्यागी, मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि एक्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत मा0 प्रबन्ध परिषद की प्रत्येक बैठक अधिकतम 02 माह के अन्तराल पर आयोजित हो जानी चाहिए। जिसपर मा0 कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कोविड–19 की समस्या के दृष्टिगत मा0 प्रबन्ध परिषद की बैठक को

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

डा0 आर0 के0 मित्तल
कुलपति

आयोजित नही करायी जा सकी एवं आगामी बैठकों को समयान्तर्गत आयोजित कराने का प्रयास किया जायेगा।

(कार्यवाही: नियन्त्रक)

2. श्रीमती सुषमा सिहं एवं डा0 महेश कौशिक द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि भविष्य में महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो वित्तीय व्यय भार या नियुक्ति से सम्बन्धित हो, मूल एजेन्डा में आने चाहिए न कि पॉकिट एजेण्डा रखा जाए जिससे सदस्य गण अध्ययन कर अपना विचार व्यक्त कर सकें।

(कार्यवाही: नियन्त्रक/कुलसचिव)

अन्त में सचिव मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

(सुशील कुमार गुप्ता)
वित्त नियंत्रक/सचिव, मा0 प्रबन्ध परिषद

सुशील कुमार गुप्ता
वित्त नियंत्रक
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

23.09.2020

(डा0 आर0के0 मित्तल)
कुलपति/अध्यक्ष, मा0 प्रबन्ध परिषद

डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ